HUSSAINABAD NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

[illegible] No. 601828190321024403
Date 19-03-2021
[illegible] 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री UDAY NATH VISHWAKARMA S/O BADREE NATH VISWAKARMA,
मोहल्ला CHHATARPUR ROAD NEAR KHADI BHANDAR HUSSAINABAD
PALAMU 822116
9608134121

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं° - 0030000458000M0 वार्ड सं° 3 [illegible] आधार पर [illegible] मूल्य 0 [illegible] निर्धारित किया गया है।
इसके अनुसार [illegible]

स्व-निर्धारित कर की सूचना

क्रम सं°	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	87.00
2.	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	87.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	87.00

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची HUSSAINABAD NAGAR PANCHAYAT Website: [illegible]
2. नियमावली कंडिका 11.4 के अलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर [illegible] हिदायत दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर नियम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर [illegible]
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर को भुगतान [illegible] देय होगा
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है तो [illegible]
5. किसी [illegible] निर्दिष्ट [illegible] के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है [illegible]
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है इस स्व-निर्धारण [illegible] गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा
7. HUSSAINABAD NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरता ढांचों का [illegible] दखलकार [illegible] कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर [illegible] नक्शे की आखिरी अंक 5,6/7,8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के [illegible]

NOTE This is a Computer generated receipt This receipt does not require physical signature